

## राजस्थान राज-पत्र

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ 7, मंगलवार, शाके 1938—जून 28, 2016 Asadha 7, Tuesday, Saka 1938—June 28, 2016

> भाग 4 (ग) उप—खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं। शिक्षा (ग्रुप–४) विभाग अधिसूचना

जयपुर, जून 24, 2016
एस.ओ.47 :—गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा
अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 31) की धारा 4 की उप—धारा (1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा यह
अधिसूचित करती है कि गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा की
अधिकारिता का विस्तार 1 जुलाई, 2016 से बासवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़
जिलों में स्थित समस्त महाविद्यालयों पर होगा।

[सं. एफ.25(1)एजु.-4/2013] राज्यपाल के आदेश से, राजहंस उपाध्याय, अतिरिक्त मुख्य सचिव।

## EDUCATION (GROUP-4) DEPARTMENT NOTIFICATION

**Jaipur, June 24, 2016** 

S.O.47 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Govind Gura Tribal University, Banswara Act, 2012 (Act No. 31 of 2012), the State Government hereby notifies that the Jurisdication of the Govind Gura Tribal University, Banswara shall extend over all the colleges situated in the Banswara, Dungarpur and Pratapgarh Districts, with effect from 1<sup>st</sup> July, 2016.

[No. F.25(1)Edu.-4/2013]
By Order of the Governor,
Rajhans Upadhyaya,
Additional Chief Secretary.